षोडश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-04 बुधवार, दिनांक- 01 मार्च, 2017 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.03 बजे पूर्वा० तक ।

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही माननीय नेता विरोधी दल, श्री प्रेम कुमार द्वारा मीडिया में प्रचारित बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री अब्दुल जलील मस्तान के द्वारा दिये गये वक्तव्य एवं आचरण के विरोध में उनपर कार्रवाई की मांग की गई ।

आसन द्वारा कहा गया कि यह एक महत्वपूर्ण बात है और इसे सही समय पर उठाया जाना चाहिए, किन्तु विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन से बार-बार आग्रह करने के बाद भी सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सदन की कार्यवाही 12.00 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

स्थगनोपरांत

(12.00 बजे मध्या० से 12.12 बजे अप० तक)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही पुनः नेता विरोधी दल द्वारा माननीय मंत्री, श्री अब्दुल जलील मस्तान को पद से हटाये जाने की मांग सरकार से की गयी । आसन से कहा गया कि किसी भी पार्टी के नेता के बारे में अशोभनीय बातें किसी भी माननीय सदस्य या माननीय मंत्री द्वारा की जाये तो यह संसदीय प्रणाली के लिए उचित नहीं है । माननीय मंत्री सदन में मौजूद हैं, इसलिए मीडिया में आयी खबर के निराकरण के लिए उनका पक्ष सुना जाना चाहिए साथ ही किसी भी पद की मर्यादा बनी रहे और सदन भी चले इसकी व्यवस्था होनी चाहिए ।

माननीय सदस्य श्री सदानंद सिंह द्वारा भी घटना पर खेद प्रकट किया गया साथ ही माननीय मंत्री का पक्ष सुनने का अनुरोध नेता विरोधी दल से किया गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री संसदीय कार्य श्री श्रवण कुमार द्वारा भी सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट की गयी ।

आसन द्वारा पुनः माननीय नेता विरोधी दल से सदन चलने में आसन को सहयोग करने की बात कही गयी, किन्तु विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गये ।

आसन के अनुरोध के बाद भी सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित की गयी ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अप० से 2.10 बजे अप० तक)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही माननीय नेता विरोधी दल द्वारा पुनः बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री अब्दुल जलील मस्तान पर कार्रवाई करने की मांग सरकार से की ।

आसन द्वारा कहा गया कि संसदीय लोकतंत्र के अनुसार इस प्रकरण का निराकरण होना चाहिए । नैसर्गिक न्याय की भी यह मान्यता है कि सभी पक्षों की बात सदन में सुनी जायेगी ।

किन्तु, विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गये ।

माननीय प्रभारी मंत्री संसदीय कार्य, श्री श्रवण कुमार द्वारा सूचित किया गया कि कांग्रेस विधायक दल के नेता द्वारा सदन में तथा कांग्रेस अध्यक्ष-सह-माननीय मंत्री, श्री अशोक चौधरी द्वारा सदन के बाहर स्थिति स्पष्ट की गयी है और सदन में मौजूद माननीय मंत्री का पक्ष सुना जाना चाहिए, किन्तु विपक्ष के माननीय नेता को संसदीय प्रणाली पर भरोसा नहीं है इसलिए वे आसन की बात भी सुनने को तैयार नहीं हैं ।

''आसन द्वारा यह कहा गया कि एक दूसरे की बात नहीं सुनना जनतन्त्र के सिद्धान्तों के विपरीत है । जिस माननीय मंत्री पर या जिस भी माननीय सदस्य पर आरोप लगता है, उसको सदन में अपनी बात रखने का, स्पष्टीकरण देने का पूरा अधिकार है और उसे यह मौका देना चाहिए ।''

किन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सदन की कार्यवाही वृहस्पतिवार, दिनांक-02 मार्च, 2017 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-01.03.2017

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सदन, पटना ।